56

Signature- Anjani Kumar Soni
ACC Name-Anjani Kumar Soni
ACC Code-UP14321904
ACC Add. Collectrate Parisar Gonda
Lic. No. -167
Tahsil Distt-Gonda

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UP00647253729410T**
Certificate Issued Date	:	13-Oct-2021 03:33 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14321904/ GONDA SADAR/ UP-GND
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14321904906511133233 50T
Purchased by	:	Maa Pateshwari Educational Trust
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	Maa Pateshwari Educational Trust
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	Maa Pateshwari Educational Trust
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	500 (Five Hundred only)

Please write or type below this line

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

"माँ पटेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट"

न्यास विलेख

वर्ष में दो हजार इक्कीस के बीच अक्टूबर माह के 13वें दिन किया गया ट्रस्ट का डिक्लेरेशन डीड:-

1. श्री उमेश प्रताप मिश्रा पुत्र कृष्ण कांत मिश्रा आयु लगभग 28 निवासी करुवा पारा गोंडा यूपी के निवासी। पिन- 271202। (अध्यक्ष)

2. श्री अखिलेश प्रताप पुत्र कृष्ण कांत मिश्रा आयु लगभग 26 वर्ष करुवा पारा गोंडा यूपी के निवासी। पिन- 271202। (सचिव)

3. श्री राजू कुमार तिवारी पुत्र राघव राम तिवारी आयु लगभग 26 मणिपुर सहिजन, चौधरी दिह बलरामपुर उ0प्र0 के निवासी पिन- 271207। (सदस्य)

4. श्री शिव शंकर पुत्र राम सूरत आयु लगभग 27 निवासी इमलिया बलरामपुर उत्तर प्रदेश के निवासी पिन- 271207 । (सदस्य)

5. श्री पीतांबर धारी मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा आयु लगभग 41 वर्ष करुवा पारा गोंडा यूपी के निवासी। पिन- 271202। (सदस्य)

और जबकि विविध नेक कारणों और समय के लिए विचार के लिए सेटलर / ट्रस्टी ने निष्पादन की प्रत्याशा में रुपये की राशि हस्तांतरित की है। 10000/-(रुपये दस हजार मात्र)

और जबकि सेटलर/ट्रस्टी एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उक्त निधियां और आगे की सभी निधियां, दान और किसी भी रूप में या समय-समय पर उक्त निधि में अंशदान उसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए समय-समय पर ट्रस्ट फंड कहा जाएगा और ट्रस्ट पर रखा जाएगा। वस्तुओं और उद्देश्य और प्रावधानों का उल्लेख यहाँ किया गया है।

और जबकि न्यास को एतद्वारा स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास घोषित किया जाता है और इस विलेख के सभी प्रावधान तदनुसार गठित किए जाने हैं। साक्षी इस प्रकार है

1. ट्रस्ट का नाम और पंजीकृत कार्यालय: ट्रस्ट का नाम "माँ पटेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट" होगा, संचालन का क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा। ट्रस्ट का वर्तमान कार्यालय शाप नं० 5 चौधरी डीह बाजार बलरामपुर उ०प्र० समीप रामदास त्रिपाठी इण्टर कालेज तुलसीपुर सिरसिया कार्यालय देश भर में किसी भी अन्य स्थान या स्थानों पर खोला जाएगा कि ट्रस्टी समय-समय पर निर्णय ले सकते हैं।
2. संचालन का क्षेत्र: पूरे भारत में।
3. उद्देश्य:
   जिन उद्देश्यों के साथ ट्रस्ट का गठन किया गया है वे इस प्रकार हैं:
   1. भ्रष्टाचार मुक्त शैक्षिक क्षेत्र की ओर अग्रसर होना तथा विभिन्न महाविद्यालयों में शिविरों का आयोजन कर छात्रों एवं व्यवसायियों को जागरुकता प्रदान करना।
   2. छात्रों को साक्षात्कार देने के लिए मार्गदर्शन करना और साक्षात्कारों को क्रैक करने और बड़े बहुराष्ट्रीय संगठनों में स्थान पाने में उनकी सहायता करना

3. विभिन्न प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोचिंग संस्थान स्थापित करना।

4. समाज की व्यापक समस्याओं के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना।

5. विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुसंधान, प्रशिक्षण विकास और आधुनिक/वैज्ञानिक कल्याण तकनीकों और टीकाकरण को मजबूत करना।

6. जीवन विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं की स्थापना करना जैसे जैव-प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म-प्रौद्योगिकी, औषधीय एरोमेट्रिक प्लांट और टिशू कल्चर, फार्मास्युटिकल आदि। पूर्व छात्रों, छात्रों और अन्य शिक्षार्थियों के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए।

7. किसानों, छात्रों और अन्य शिक्षार्थियों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आधुनिक विज्ञान आधारित निष्कर्षों/उपलब्धियों का विस्तार करना।

8. विभिन्न प्रकार की गुणवत्तापूर्ण परियोजना रिपोर्ट/अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए छात्रों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और अन्य शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करना।

9. जैव-प्रौद्योगिकी और आणविक-जीव विज्ञान और औषधीय विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों और शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना।

10. विभिन्न सरकारी, अर्ध-सरकारी/निजी संगठनों से जैव प्रौद्योगिकी और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं को अंजाम देना।

11. किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य शिक्षार्थियों के लिए उनके आर्थिक उत्थान के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में सरल जैव तकनीकी तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए किसानों, छात्रों और अन्य के लिए विज्ञान और कला प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना। विभिन्न भौगोलिक स्थानीय पर शिक्षार्थी समुदाय।

12. ग्रामीण गरीबों और महिलाओं के तकनीकी सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण के लिए ग्रामीण और महिला प्रौद्योगिकी पैक की स्थापना करना।

13. कृषि, रेशम उत्पादन, बागवानी, फूलों की खेती, वानिकी, बायोटेक, कुक्कुट पालन, शुष्क भूमि खेती, कृषि आधारित उद्योग, डायरी के विकास और आधुनिकीकरण में मदद करने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने, स्थापित करने, चलाने, सुधार करने, विविधता लाने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, फसल प्रौद्योगिकी, नर्सरी पालन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। 14. धूम्रपान के दुष्परिणामों के बारे में समाज/जनता को शिक्षित और सूचित करना और धूम्रपान विरोधी अभियान और क्लीनिक आयोजित करना।

15. कैंसर, टीबी, एड्स और अन्य यौन संचारित रोगों और अन्य संबंधित चिकित्सा मामलों से पीड़ित रोगियों की राहत के लिए नैदानिक, उपचारात्मक और अनुसंधान सुविधाओं के लिए क्लीनिक और केंद्रों की स्थापना, स्थापना, संचालन, प्रचार, रखरखाव और समर्थन करना।

16. लोगों के बीच ज्ञान और जानकारी बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों, अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना और पुस्तकों, पत्रिकाओं और साहित्य को प्रकाशित करना।

17. गौ रक्षा कार्यक्रम की स्थापना, स्थापना, संचालन, संवर्धन, अनुरक्षण एवं समर्थन तथा गौ आश्रय की स्थापना करनाघर, बायो पार्क और अन्य कार्यक्रम जो गोरक्षा के लिए चलते हैं। 18. गाय के बत्तख, मूत्र और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए जैव विविधता पार्क की स्थापना करना।

19. स्वच्छ भारत हरित भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देना।

20. स्वच्छ गंगा के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को बढ़ावा देना और गंगा की "अविरल धारा" की स्थापना करना।

21. भ्रष्टाचार और काले धन को हटाने के लिए जनता को जागरूक करना और मुफ्त कानूनी परामर्श देना।

22. बैठकों, संगोष्ठियों, व्याख्यानों, सम्मेलनों, सर्वेक्षणों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अध्ययन शिविरों आदि का आयोजन करके इस तरह की जागरूकता को बढ़ावा देना और विशेषज्ञ लोगों जैसे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, वकील, पुनर्वास व्यक्तियों और अन्य विशेषज्ञों को आदी और अन्य को निर्देश देना समुदाय में रुचि रखने वाले व्यक्ति।

23. विभिन्न राज्य और प्रायोजित गैर सरकारी संगठन के संबंध में मूल्यांकन अनुसंधान करने के लिए।

24. योग वैकल्पिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, एक्वा-प्रेशर आदि के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और खुली कक्षाएं प्रदान करना।

25. चिकित्सा राहत के प्रावधान के लिए अस्पतालों, धर्मार्थ औषधालयों, मोबाइल औषधालयों, प्रसूति गृहों, प्रसूति क्लीनिकों, बाल कल्याण केंद्रों, दीक्षांत गृहों, सेनेटोरियम और अन्य समान संस्थानों या सुविधाओं की स्थापना, स्थापना, संचालन, प्रचार, रखरखाव और समर्थन करना। 26. सरकार, गैर सरकारी से अनुदान, दान और ऋण प्राप्त करने के लिए। ट्रस्ट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एजेंसियों, व्यक्तियों, व्यवसाय / कल्याण समूहों, राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और बैंकों का उपयोग किया जाएगा।

27. पत्र-पत्रिकाओं, सामान्य समाचार-पत्रों और शैक्षिक सामग्री का प्रकाशन और सूचना स्थापित करना।

28. पर्यावरणीय कारक मुद्दे में परियोजना रिपोर्ट प्रदान करना और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए कार्यशालाओं की स्थापना करना।

29. स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के लिए नए व्यवसायियों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

30. पर्यावरण के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के लिए नई सुविधाओं की स्थापना के लिए छात्रों, महिलाओं या युवाओं को प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।

31. विभिन्न टाई-अप संस्थान और विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक, व्यावसायिक और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्र को परामर्श और परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

4. न्यासी और प्रबंधन:

उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सलाह और समर्थन देने के लिए संरक्षक और सलाहकारों का एक बोर्ड होगा। संस्थापक न्यासी उन्हें समय-समय पर उनके परामर्श पर नियुक्त करेंगे और यदि वे उन्हें स्वीकार या इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका नाम बोर्ड से हटा दिया जाएगा।

ट्रस्टी और ट्रस्ट और संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण संस्थापक सदस्यों के नाम पर होगा जो इस प्रकार हैं:

1. श्री उमेश प्रताप मिश्रा
2. श्री अखिलेश प्रताप
3. श्री राजू कुमार तिवारी
4. श्री शिव शंकर
5. श्री पीतांबर धारी मिश्रा

पूर्वगामी प्रावधानों को पूरा करने के लिए संस्थापक ट्रस्टियों के पास ट्रस्ट के मामलों को विनियमित और प्रबंधित करने की पूर्ण और निरंकुश शक्ति होगी; उनके पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

1. किसी भी व्यक्ति, निकाय और ट्रस्ट से या बिना शर्तों के दान, योगदान, ब्याज, अनुदान और सदस्यता से कमाई, नकद या वस्तु के रूप में स्वीकार करने के लिए।

2. उधार लेने या बढ़ाने या भुगतान सुरक्षित करने और सुरक्षा के साथ या बिना पैसे उधार देने के लिए।

3. ट्रस्ट फंड के संबंध में समायोजन, सेटर, समझौता, कंपाउंड, मध्यस्थता सभी कार्यों, दावों की मांगों और कार्यवाही को संदर्भित करने के लिए।

4. विषयों पर समान उद्देश्यों वाले अन्य लोगों के साथ इस ट्रस्ट में शामिल होने, सहयोग करने या समामेलित करने के लिए।

5. किसी ट्रस्ट, फंड या एंडॉमेंट या किसी अन्य निकाय के प्रबंधन को स्वीकार करने के लिए जिसमें ट्रस्ट का हित है।

6. न्यास के लिए और उसकी ओर से करार करना।

7. अपने प्रत्यायित एजेंटों के माध्यम से रसीद देना, लिखतों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें निष्पादित करना और चेक या अन्य परक्राम्य लिखतों का समर्थन या छूट देना।

8. ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना जो आवश्यक हो या ट्रस्ट की संपत्ति और मामलों का उचित प्रबंधन हो।

9. ट्रस्ट के निपटान के लिए या ट्रस्ट के चींटी व्यवसाय के निपटान के लिए या ट्रस्ट से संबंधित किसी भी मामले में सलाह के लिए समिति या उपसमिति नियुक्त करना।

10. न्यास निधि से आय के कोष से अन्य संस्था या राज्य के अन्य न्यासों को, जो पहले से ही विद्यमान है, या ऊपर वर्णित उद्देश्य के लिए स्थापित किये जाने वाले दान के रूप में सहायता देना।

11. अपनी किसी भी शक्ति को अपने नामित व्यक्ति को लिखित रूप में सौंपना, जो तब तक हकदार होगा जब तक कि ऐसा नामांकन लागू रहता है, इस तरह की शक्ति या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, उसी तरह से ट्रस्टी स्वयं / स्वयं व्यक्तिगत रूप से कर सकता था।

5. न्यासी बोर्ड संस्थापक न्यासी, यदि न्यास के उद्देश्यों की सफल उपलब्धि के लिए आवश्यक महसूस करते हैं, तो न्यासी का एक बोर्ड बना सकते हैं जिसमें 11 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। बोर्ड के सदस्य के सदस्य को समय-समय पर संस्थापक ट्रस्टी द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बोर्ड की वर्तमान संरचना होगी:

न्यास का बोर्ड सदस्य है:-

1. श्री उमेश प्रताप मिश्रा
2. श्री अखिलेश प्रताप
3. श्री राजू कुमार तिवारी
4. श्री शिव शंकर
5. श्री पीतांबर धारी मिश्रा

बोर्ड अध्यक्ष और सचिव के परामर्श से ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो इस प्रकार हैं: बोर्ड अध्यक्ष को कार्य योजना तैयार करने और सुझाव देने के लिए नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने में मदद करेगासभी भागीदार संगठनों के समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई।

1. बोर्ड ट्रस्ट की गतिविधियों की बेहतर उपलब्धि के लिए परामर्श प्रदान करेगा।

2. बोर्ड ट्रस्ट के उद्देश्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा।

ID AYO-04696
Name
Shri Krishna Kumar Tiwari
Advocate
Father/Husband Name
Date of Birth
25-06-1990
Address
Nare Mahanpur, Belwa Bahuta, Intiya Thok, Gonda
Enrollment No.
UP04997/2021
Enrollment Dt.
23-04-2021
Secretary
Bar Council of U.P.

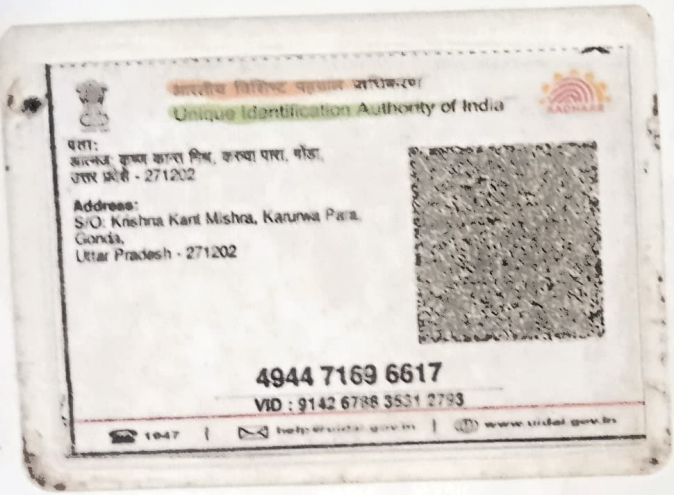

Unique Identification Authority of India
पता:
Address:
S/O: Krishna Kant Mishra, Karunwa Para, Gonda,
Uttar Pradesh - 271202
4944 7169 6617
VID : 9142 6788 3531 2793
1947

भारत सरकार
Government of India
Umesh Pratap Mishra
जन्म तिथि/DOB: 29/11/1993
पुरुष/ MALE
4944 7169 6617
VID : 9142 6788 3531 2793
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Ashish Kumar Srivastava
DOB: 12/08/1993
/ MALE
7023 0503 5357

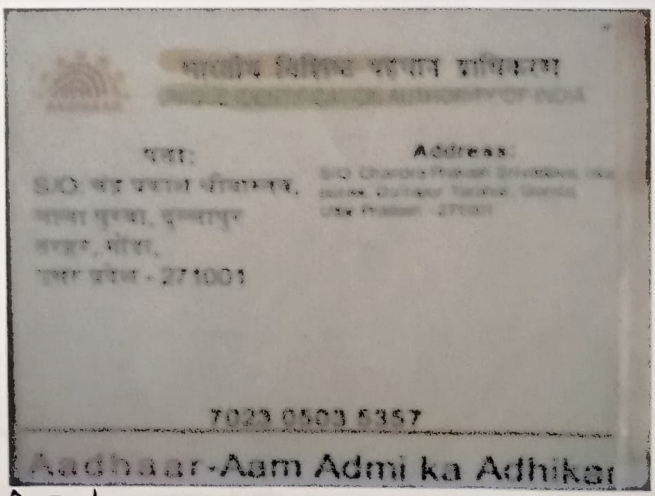

पता:
Address:
271001
7023 0503 5357
Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

6. सदस्यता हटाना एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में ट्रस्ट का सदस्य नहीं रहेगा:

1. यदि वह बिना सूचित किए निष्क्रिय रहता है और न्यासी या बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेता है।

2. यदि अध्यक्ष और/या सचिव द्वारा उनसे इस्तीफा देने का अनुरोध किया जाता है।

7. संस्थापक न्यासी की सुविधाएं और कर्तव्य संस्थापक न्यासी किसी भी पारिश्रमिक और अनुलाभों को प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि न्यासियों द्वारा तय किया गया है, सुसज्जित कार्यालय, प्रचलित बाजार सूचकांक के अनुसार सुसज्जित घर / समकक्ष भत्ते और ट्रस्ट या कर्तव्यों से संबंधित और उसके पक्ष में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे। उसके लिए। अपनी घोषणा के पैरा (4) के प्रावधान के अधीन, संस्थापक ट्रस्टी भविष्य के सभी सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, जिनमें से अधिकतम संख्या ग्यारह और न्यूनतम एक होगी।

यदि संस्थापक ट्रस्टी, अध्यक्ष या सचिव में से कोई भी मर जाता है या अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो उत्तराधिकारी अपना पद धारण करेगा। यदि बोर्ड का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या ट्रस्ट के अधिसूचित उद्देश्यों और उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने में अक्षम हो जाता है या मर जाता है और अपनी भूमिका को पूरा नहीं कर पाता है तो संस्थापक ट्रस्टी अपने स्थान पर एक सदस्य को शामिल करने के लिए सक्षम होगा। इस्तीफे, समाप्ति, या अक्षमता या मृत्यु के कारण रिक्त हो गया है।

8. आम मुहर ट्रस्ट की एक सामान्य मुहर होगी, जो संस्थापक ट्रस्टी की अभिरक्षा में होगी। आम मुहर मईन्यास के किन्हीं दो संस्थापक न्यासियों की उपस्थिति में किसी भी दस्तावेज पर चिपकाया जा सकता है।

9. लोगो, ट्रेडमार्क और कॉपी राइट ट्रस्ट अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों/पत्राचारों पर उपयोग के लिए ट्रस्ट के लिए एक लोगो डिजाइन करेगा; और ऐसी सभी चीजें करें जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आकस्मिक या अनुकूल हों। ट्रस्ट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अनुमोदन से ट्रस्ट पहचान के नाम पर कॉपी राइट और ट्रेडमार्क लेगा।

10. ट्रस्ट फंड सभी धन निवेश, दान, ब्याज किराया, लाभ, योगदान और अन्य संपत्ति, जो इसके बाद भुगतान या हस्तांतरित या अन्यथा ट्रस्ट में निहित हो सकती है या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उनके नियंत्रण में हो सकती है या जो किसी भी समय हो सकती है इसके बाद किसी अन्य सदस्य पर ट्रस्ट फंड की पूंजी अर्जित करता है। आय के ऐसे सभी संचय ट्रस्ट फंड की पूंजी में जोड़ दिए जाएंगे।

11. ट्रस्ट का खाता

1. अध्यक्ष और सचिव हमेशा ट्रस्ट के उचित खातों को बनाए रखेंगे, जिन्हें ट्रस्ट के कार्यालय में रखा जाएगा।

2. ट्रस्ट द्वारा नियुक्त एक चार्टर्ड एकाउंटेंट व्यय के खाते की लेखापरीक्षा करेगा।

3. ट्रस्ट का खाता वर्ष प्रत्येक वर्ष के मार्च के 31 वें दिन समाप्त होगा।

4. ट्रस्ट की निधि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी बैंक में खोले जाने वाले खाते में रखी जाएगी।

5. बैंक खाता अध्यक्ष (संस्थापक ट्रस्टी) द्वारा संचालित होता है।

6. इस विलेख में निहित कुछ भी ट्रस्टियों को कोई भी कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं माना जाएगा, जिसे किसी भी तरह से वैधानिक संशोधन माना जा सकता है और ट्रस्ट की सभी गतिविधियां होंगीबिना किसी जाति, धार्मिक और आयकर अधिनियम 1961 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के अनुसार बड़े पैमाने पर जनता को लाभान्वित करने की दृष्टि से किया गया।

12. दान स्वीकार करने के लिए ट्रस्ट के पास किसी भी निजी या सार्वजनिक ट्रस्ट, संस्थानों, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की किसी भी संपत्ति या संपत्ति के मामले में या किसी भी प्रकार की संपत्ति के रूप में इस तरह के दान को स्वीकार करने की उनकी दिशा में शक्ति होगी, बशर्ते कि शर्तें जिस पर इस तरह के दान के योगदान को स्वीकार किया जाएगा, किसी भी तरह से इन उपहारों के उद्देश्यों के अनुरूप या प्रतिकूल नहीं होगा और इन उपहारों के तहत बनाए गए ट्रस्ट की वस्तुओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा। केवल वस्तुओं को आगे बढ़ाने में।

13. अन्य धर्मार्थ ट्रस्ट या संस्थानों या विभाग या सोसायटी के माध्यम से ट्रस्ट फंड लागू करने के लिए इस तरह के उद्देश्य के लिए किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट या संस्थानों या विभाग या समान प्रकृति के समाज को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए, ट्रस्टी इसे बहुमत में तय कर सकते हैं और तदनुसार इस तरह के लेनदेन कर सकते हैं।

14. कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए संस्थापक ट्रस्टी ट्रस्ट के प्रशासन और प्रबंधन में सहायता के लिए किसी भी अन्य उचित और एजेंटों को नियुक्त कर सकते हैं और ट्रस्ट फंड के आवेदन ऐसी कोई भी नियुक्ति ऐसी शर्तों के लिए और ऐसे वेतन या पारिश्रमिक पर की जा सकती है जैसा कि प्रबंध न्यासी द्वारा तय किया जा सकता है। ट्रस्ट का उनका पूर्ण धर्मार्थ चरित्र।

15. सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति संस्थापक न्यासियों के पास एक निर्धारित प्रोफार्मा पर मार्गदर्शन, मनोनीत या विभिन्न प्रकार के सदस्यों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सलाह नियुक्त करने की शक्ति होगी और ट्रस्ट के लाभ के लिए शुल्क विभिन्न समितियों या उप समितियों का गठन करेगा और कमी पाए जाने पर उन्हें निष्कासित या भंग कर देगा। उनके प्रदर्शन में।

16. कि संस्थापक न्यासी आपसी सहमति से विभिन्न समितियों के लिए नए न्यासी या सह-विशेषज्ञ नियुक्त करने की शक्ति रखते हैं।

17. इस विलेख की शर्तों के अधीन, न्यासी समय-समय पर न्यासियों की बैठक आयोजित करने और न्यास के उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के प्रबंधन और प्रशासन के लिए नियमों को निर्धारित और बदल सकते हैं। ऐसे सभी नियम संस्थापक न्यासी द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित होंगे।

18. न्यास द्वारा और उसके विरुद्ध वाद ट्रस्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट के नाम पर मुकदमा कर सकता है या मुकदमा कर सकता है जैसा बोर्ड निर्धारित कर सकता है। ट्रस्ट से संबंधित सभी कानूनी मामलों को गोंडा क्षेत्राधिकार में ही लिया जा सकता था।

19. न्यास की संपत्तियों का हस्तांतरण और हस्तांतरण यदि ट्रस्ट के परिसमापन या विघटन पर, सभी ऋणों और देनदारियों की संतुष्टि के बाद भी कोई संपत्ति बनी रहती है, तो उसे दिया जाएगा

और ऐसे अन्य संस्थान को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो ट्रस्ट के समान उद्देश्यों के लिए निर्धारित किए जाएंगे। न्यास के न्यासी समापन के समय या उससे पहले और आपसी सहमति से सभी संस्थापक न्यासियों से पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ। भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की सभी धाराओं के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए लागू सभी प्रावधान ट्रस्ट पर लागू होंगे।

उन गवाहों में जहां सेटर ने ऊपर लिखी तारीख, महीने और साल की सहमति को पूरी तरह से समझने के बाद इस विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं, निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में।

ह० अध्यक्ष

उमेश प्रताप मिश्रा

पुत्र कृष्ण कांत मिश्रा

निवासी करुवा पारा गोंडा यूपी

मो०–8423407004

गवाह:

1 श्री कृष्ण कुमार तिवारी पुत्र श्री राम धीरज तिवारी
नारे महारीपुर बेलवा बहुता इटियाथोक गोण्डा

2 आशीष कुमार श्रीवास्तव पुत्र चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव
लालापुरवा दुल्लापुर तरहर गोण्डा।